तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्वर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/5/25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पूर्व आदेशानुसार दिनांक....23/6/25.............. को पत्रावली पेश हो।	
23/6/25	पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 30/06/25 को पेश हो	
	पत्रावली पेश। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित भूमिया नानजी कुमावत को आंवटित हुई थी, जो कि उनकी गैर–खातेदारी में दर्ज है। विवादित भूमियों में अप्रार्थीगण का कोई कानूनन हक व अधिकार नहीं है। इनके द्वारा दिनांक 23.11.2019 को कब्जा करने की धमकी देने पर इनके खिलाफ उनके विरूद्ध रिपोर्ट देने पर इनको पुलिस द्वारा पाबंद करवाया हुआ है। फिर भी ये बार–बार दखलंदाजी कर रहे है। विवादित भूमि उनके पिता व पति से प्राप्त होने से प्रथम दृष्ट्या मामला हमारे पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। खण्डन में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि विवादित भूमि का नानजी को आंवटन होकर उनकी गैर–खातेदारी में दर्ज है। कब्जा नहीं होने के आधार पर विवादित भूमियों में खातेदारी अधिकार नहीं मिले है। हमने गलत आंवटन होने से उसको खारिज करवाने के लिए कार्यवाही पेश कर रखी है। जो जवाब में लम्बित चल रही है। मौके पर अभी आबादी व बाडे बने हुए है। इनके द्वारा दिनांक 23.11.2019 को रिपोर्ट देना अंकित किया है परन्तु उस बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किए है। कब्जे के अभाव में दावा चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।	
उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली		

P.T.O→

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उक्त तथ्यों के खण्डन में वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि कब्जा होना या नहीं होना साक्ष्य के दौरान तय किया जाना है इस बाबत हमने चरण संख्या 4 व 6 में अंकन किया है यदि हमारा विवादित भूमि पर कब्जा नहीं होता तो सरकार आंवटन खारिज करवाने के लिए स्वतंत्र थी परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही पेश नहीं की है प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

हमने वकील पक्षकारान द्वारा द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि खाता संख्या 182 वाके ग्राम अशोक नगर में स्थित है, जो कि प्रार्थीगण के पति व पिता नानजी कुमरावत के नाम गैर–खातेदारी में दर्ज है।

प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किए जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

1. <u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u> :– विवादित भूमि खाता संख्या 182 के खसरा संख्या 2358 व 2364 कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम अशोक नगर पटवार मण्डल बडानयागांव में स्थित है, जो कि प्रार्थीगण के पति व पिता नानजी कुमरावत के नाम गैर–खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा अपने पूर्वज के नाम गैर–खातेदारी भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा दखल करने बाबत दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया है। विवादित भूमियां गैर–खातेदारी में दर्ज होने से उन पर खातेदारी अधिकार अब तक नहीं मिलने से विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होना संदेह से परे है, साबित नहीं हो रहा है। मूल वाद निषेधाज्ञा का पेश किया हुआ है। कब्जे के अभाव में निषेधाज्ञा का वाद प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बन रहा है।
2. <u>सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त</u> :– विवादित भूमि खाता संख्या 182 के खसरा संख्या 2358 व 2364 कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम अशोक नगर पटवार मण्डल बडानयागांव में स्थित है, जो कि प्रार्थीगण के पति व पिता नानजी कुमरावत के नाम गैर–खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा अपने पूर्वज के नाम गैर–खातेदारी भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा दखल करने बाबत दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया है। विवादित भूमियां गैर–खातेदारी में दर्ज होने से उन पर खातेदारी अधिकार अब तक नहीं मिलने से विवादित भूमि पर प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

का कब्जा होना संदेह से परे है, साबित नहीं हो रहा है। मूल वाद निषेधाज्ञा का पेश किया हुआ है। कब्जे के अभाव में निषेधाज्ञा का वाद प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में नहीं बन रहा है।

3. अपूर्णीय क्षति की संभावना :– विवादित भूमि खाता संख्या 182 के खसरा संख्या 2358 व 2364 कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम अशोक नगर पटवार मण्डल बडानयागांव में स्थित है, जो कि प्रार्थीगण के पति व पिता नानजी कुमरावत के नाम गैर–खातेदारी में दर्ज है। मूल वाद निषेधाज्ञा का पेश किया हुआ है। कब्जे के अभाव में वर्तमान में प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति की संभावना बन रही है।

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचनानुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में नहीं बनने एवं प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति की संभावना नहीं बनने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली